21.6.18 पत्रावली नियम 101 राजस्व में पेश हुई। पत्रावली अधिवक्ता उभय। प्रार्थी का मुखिया पक्ष स्वीकार किया जाता है। आराजी स.नं. 5, 145, 162, 192, 211, 229, 230, 233, 242, 291, 318, 329, 363, 397, 397/433 वाली ग्राम रोलीया तहसील कोटकासिम में वादी का नाम बिन्दू पुत्र सरदारा के नाम को हटाकर हरकेश पुत्र सरदारा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में आगत दर्ज हो। तहसीलदार कोटकासिम को अवगत जारी हो। पत्रावली मुख्य रोस्टर क्लर्क से नियमानुसार तथा बाद कार्यालय नियमानुसार हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner